

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.5.2011 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 11.5.2011 को माननीय मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें परिशिष्ट-अ अनुसार माननीय मन्त्रीगण एवं अधिकारीगण द्वारा भाग लिया गया।

बैठक के प्रारम्भ में शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग तथा अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय मन्त्रीगण एवं उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा संवत् 2067 में दो जिलों में चल रही राहत गतिविधियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। इसके उपरान्त वर्ष 2010 में बाढ़ के दौरान हुई सार्वजनिक परिसम्पत्तियों/आवासीय भवनों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार कार्यों के लिए आवंटित बजट के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार फरवरी, 2011 में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में अब तक उपलब्ध कराई गई सहायता का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। माननीय मुख्यमन्त्री जी द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बतलाया कि अब तक राज्य के 14 प्रभावित जिलों को 21.00 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि वर्तमान में किसी भी जिले की बजट की कोई मांग बकाया नहीं है। यदि किसी जिले की मांग आती है तो बजट आवंटन तुरन्त कर दिया जायेगा। उन्होंने राज्य आपदा मोचन निधि में वर्तमान में राशि की उपलब्धता से अवगत कराया और राज्य कार्यकारी समिति की गत बैठक में खोज एवं बचाव मद में आवंटित 18.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति की जानकारी दी गई। आगामी मानसून की तैयारी के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जिलों/ विभागों को मानसून के मद्देनजर आवश्यक तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जिलों के अधिकारियों का वायुसेना से अच्छे तालमेल के सम्बन्ध में पूर्वाम्यास भी करा दिया गया है ताकि आपदा की स्थिति में वायुसेना की मदद लेने में आसानी रहे।

माननीय मुख्यमन्त्री जी ने राज्य में गत कुछ दिनों से अचानक बढ़ गये तापमान एवं गर्मी के विकट हालात पर चिन्ता व्यक्त की एवं नरेगा में मजदूरों को लू एवं तापघात से बचाने के लिए कुछ किए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। चर्चा के दौरान यह सुझाव आया कि नरेगा मजदूरों के गत वर्ष की भौति, काम के घण्टे भी घटा दिए जावे एवं टास्क दर में भी गत वर्ष की भौति कटौती कर दी जावे। व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय किया गया कि भयंकर गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द नरेगा मजदूरों का कार्य समय प्रातः 6.00 बजे से 10.00 बजे तक कर दिया जाए एवं इस अवधि में टास्क दर जो सामान्यतः 30 प्रतिशत घटी हुई लागू होती है, उसे 20 प्रतिशत और घटाकर, 50 प्रतिशत कर दिया जाए। यह व्यवस्था 30 जून, 2011 अथवा मानसून आने तक, जो भी पहले हो, लागू रहे।

माननीय मुख्यमन्त्री जी ने गर्मी के प्रकोप को देखते हुए पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने के निर्देश भी दिए।

तत्पश्चात् निदेशक, मौसम विभाग श्री एस0 एस0 सिंह द्वारा आगमी मानसून की सम्भाव्यता के बारे में एक प्रजेण्टेशन दिया गया। उनका निष्कर्ष था कि राज्य में इस वर्ष मानसून सामान्य रहने की पूरी सम्भावना है।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक: 1(1) (4)आप्रसआ/सा/2009 / 5657-5679 दिनांक: 12 $\frac{5}{2011}$

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री
 - 2 निजी सचिव, माननीय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मन्त्री
 - 3 निजी सचिव, माननीय जल संसाधन मन्त्री
 - 4 निजी सचिव, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री
 - 5 निजी सचिव, माननीय कृषि एवं पशुपालन मन्त्री
 - 6 निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री
 - 7 निजी सचिव, माननीय गृह, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मन्त्री
 - 8 निजी सचिव, माननीय राजस्व मन्त्री
 - 9 निजी सचिव, माननीय सहकारिता मन्त्री
 - 10 उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
 - 11 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास
 - 12 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
 - 13 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज. विभाग
 - 14 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग
 - 15 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
 - 16 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
 - 17 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग
 - 18 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री
 - 19 निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
 - 20 निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री
 - 21 निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग विभाग
 - 22 निजी सचिव, आयुक्त, राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना
- 23 निदेशक, मौसम विभाग, राजस्थान, जयपुर।

शासन उप सचिव